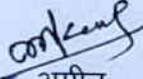


परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं, जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X -3/2011 /8 (21) / 2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/ X-3/ 2011/8(21)/2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) (ड) व श्रेणी 10 (4) में दर्ज कागजात है एवं वन भूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।


अमीन

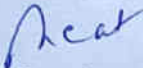

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार


उप जिलाधिकारी